(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3786–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा सिमरोल डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 7/अ–70/2015–16.

.....

1–कैलाश पिता श्री मॉगीलाल गोयल
निवासी ग्राम दतोदा तहसील महू जिला इंदौर
2–ओमप्रकाश पिता मॉगीलाल गोयल
निवासी ग्राम मेमदी तहसील महू जिला इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

बलजीत सिंह पिता श्री जसवंतसिंह साहनी
निवासी 80 विष्णुपुरी कॉलोनी मेन रोड इंदौर ..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी , अभिभाषक– आवेदकगण
श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार टप्पा सिमरोल तहसील डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा टप्पा सिमरोल तहसील डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम मेमदी तहसील महू जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 626/1 रकबा 0.758 हेक्टेयर स्थित है, उसके द्वारा दिनांक 30–5–16 को विधिवत् सीमांकन

कराया गया है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–70/15–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–10–2016 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा बिना आवेदकगण की उपस्थिति में सीमांकन कराया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण के आधिपत्य में अनावेदक की कोई भूमि नहीं है और इसके संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है इसी कारण व्यवहार न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने तक तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित करने संबंधी आवेदन आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है क्योंकि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है जिसके निराकरण का अधिकार केवल व्यवहार न्यायालय को है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा विधिवत् सीमांकन कराया जाकर तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा केवल इस आशय का स्थगन दिया गया है कि आवेदकगण के आधिपत्य में विधि की सम्यक् प्रकिया अपनाये बिना न तो हस्तक्षेप करेंगे और न करायेंगे और तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकिया अपनायी जाकर ही कार्यवाही की जा रही है जिसे स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं होने से तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में स्थगन दिया गया है, ऐसी स्थिति में भी उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही व्यवहार न्यायालय द्वारा जारी स्थगन के प्रकाश में स्थगित करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार टप्पा सिमरोल तहसील डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2016 निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर